सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत मत्स्य और जलकृषि में उद्यमी मॉडल संबंधी

दिशा-निर्देश

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत मत्स्य और जलकृषि में उद्यमी मॉडल संबंधी दिशा-निर्देश

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

अक्टूबर, 2020

मुद्रकः
मै. रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए–89/1, नारायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110028

विषय–सूची

1.	परिचय	1–2
2.	उद्यमी मॉडल–राशनले	2–5
3.	उद्यमी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए रणनीति	5–6
4.	उद्देश्य	6
5.	पात्र लाभार्थी	7
6.	पात्रता	7
7.	प्रस्तावित आवंटन	8
	7.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)	8
	7.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)	8
8.	फंडिंग पैटर्न	9
	8.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)	9
	8.1.1 केंद्रीय वित्तीय सहायता	9
	8.1.2 लाभार्थी का अंशदान	9
	8.1.3 बैंक ऋण	9
	8.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएस)	9
	8.2.1 केन्द्र और राज्य संयुक्त दोनों सरकारी सहायता	9
	8.2.2 लाभार्थी का अंशदान	10
	8.2.3 बैंक ऋण	10
9.	सरकारी सहायता जारी करने के तौर–तरीके	10
10.	एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां	11
	10.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)	11
	10.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)	11
11.	कार्यान्वयन का तरीका	11
	11.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)	11–12
	11.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)	12–14
12.	कन्वर्जेंस (अभिबिंदु)	14
13.	स्टार्टअप और इनक्यूबेटर संचालित मॉडल	14
14.	उद्यमिता मॉडल की गतिविधियाँ	15
15.	सामान्य	15–16

उद्यमी मॉडल

1. परिचय

1.1 भारत सरकार ने मई, 2020 में फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) की शुरुआत की, जिसपर 20050 करोड़ रूपये का अनुमानि निवेश किया गया, जिसमें सभी राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए 9407 करोड़ रूपये का केंद्रीय भाग, 4880 करोड़ रूपये का राज्य भाग और 5763 करोड़ रूपये का लाभार्थी अंशदान शामिल है।

1.2 पी.एम.एम.एस.वाई मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, ट्रेसबिलिटी (पता लगाने की क्षमता), पोस्ट हार्वेस्ट के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में आने वाले महत्वपूर्ण फासलों का पता लगाएगी। यह एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे की स्थापना करके मूल्य श्रेणी को और अधिक आधुनिक और सुदृढ़ करेगी और मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देगी। पी.एम.एम.एस.वाई का उद्देश्य क्षमता निर्माण, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है।

1.3 पी.एम.एम.एस.वाई एक अम्ब्रेला योजना है जिसके दो अलग संघटक है जैसे (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)। केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) संघटक को इसके आगे निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों के तहत गैर–लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप–घटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:

(i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

(ii) अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट का प्रबंधन

(iii) मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा

1.4 पी.एम.एम.एस.वाई की प्रमुख कार्यान्वयन रणनीतियाँ 'क्लस्टर/क्षेत्र–आधारित दृष्टिकोण' हैं, जिनमें अपेक्षित आगे और पीछे के लिंकेज सहित एक्वा पार्क, फासलों भरने पर ध्यान केंद्रित करना, अभिसरण, एंड टू एंड समाधान, प्रौद्योगिकी जलसेक, भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग, अच्छी जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, 'कैच टू कंजूमर तक पता लगाने की क्षमता, मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन योजना, नवाचार, उद्यमशीलता मॉडल, मछुआरों और मछली किसानों का एकत्रीकरण, मॉडल एकीकृत तटीय मछली पकड़ने के गांवों, प्रजातियों में विविधता और आनुवंशिक सुधार, व्यापक मात्स्यिकी डेटाबेस आदि शामिल हैं।

1.5 2024–25 तक, पी.एम.एम.एस.वाई में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन, 5 टन/हेक्टेयर की औसत एक्वाकल्चर उत्पादकता, 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात, महत्वपूर्ण मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे का निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान में कमी, मूल्य श्रेणी का आधुनिकीकरण और उसको सुदृढ़ करना, घरेलू मछली की खपत को 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक बढ़ाना, मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और लगभग 55 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य परिकलपित है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, परिवर्तनकारी रणनीतियों और प्रभावशाली हस्तक्षेपों, विशेष रूप से उत्पादन इकाइयों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम से परे एक्वाकल्चर में, जो केवल निजी क्षेत्र की गतिशीलता का लाभ उठाकर हो सकता है, की आवश्यकता है। अंत में, उद्यमी मॉडल की प्रमुख भूमिका होती है।

1.6 पी.एम.एम.एस.वाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्यमिता के विकास, सुगमता से व्यवसाय करने को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेटर आदि सहित नवीन परियोजना गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

2. उद्यमी मॉडल– राशनले

2.1 मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर ने भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले दो दशकों में, यह क्षेत्र हितधारकों के लिए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत मछुआरों और मछली किसानों के लिए, आय के एक सशक्त स्रोत के रूप में विकसित हुआ है और इसके आगे इसने हितधारकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

2.2 जनसंख्या वृद्धि और खपत पैटर्न में बदलाव आने दोनों के परिणामस्वरूप मछली और मत्स्य उत्पादों की मांग दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और आहार की आदतों में क्रमिक विविधीकरण की सुविधा मिली है। इस प्रकार, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के लिए उच्चतर रिटर्न और मछली पालन के निर्यात को दोगुना करने के लिए इस बढ़ती घरेलू और वैश्विक मछली की मांग को पूरा करने के लिए, यह जरूरी है कि सतत और जिम्मेदार तरीके से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाये। अंत में, एक प्रमुख रणनीति मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है और इस तरह, पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को आधुनिक बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक पूंजी और नवाचार करने की जरूरत है।

2.3 भारत में मत्स्यपालन और जलकृषि के क्षेत्र में मछुआरों और मछली किसानों में तकनीकी क्षमता और जानकारी का अभाव है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली के निरंतर विकसित और जटिल प्रकृति की छवि को और अधिक धूमिल करती है। इसके फलस्वरूप इनपुट उत्पादन तथा इनपुट डिलीवरी सिस्टम से लेकर प्रसंस्करण तथा विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला के कौशल में बड़ा फासला आ सकता हैं जिसके लिए उद्दमियों से अपेक्षा की गई है कि वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें और सभी कार्य करने वाले लोगों में अभिनव प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार इस क्षेत्र में उद्दमिता गतिविधि को प्रोत्साहित करने, संवर्धित करने और बढ़ावा देने की अविलम्ब और तत्काल जरूरत है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

2.4 हाल के वर्षों में, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र ने मूल्य श्रेणी से परे उद्यमशीलता में क्रमिक वृद्धि देखी है, जिसने शैक्षिक स्तर में वृद्धि करके, व्यापार कौशल और उच्च जोखिम–क्षमता को बढ़ाया है।

2.5 जबकि सस्ती और पौष्टिक मछली और मत्स्य पालन के उत्पादों की आपूर्ति में सतत वृद्धि को उत्प्रेरित करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के विकास को प्रेरित करने की पर्याप्त आवश्यकता है, इसलिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि मछली उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार गतिविधियों जैसे कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित, उच्च ग्रेड के आदानों सहित सस्ते चारे की आपूर्ति और जलीय कृषि और पौष्टिक मछली–आधारित उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बीज की आपूर्ति करने की गतिविधियों के अपटेक को बढ़ावा देकर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाये।

2.6 इस संबंध में, उद्यमी मॉडल अन्य बातों के साथ–साथ युवाओं को बदलाव के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में पेश करेंगे, रोजगार के लिए आकर्षक अवसरों को बढ़ाएंगे और मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रेणी में भागीदारी के लिए आने वाली बाधाओं, जैसे कि मछली पकड़ने के क्षेत्र, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुंच की कमी, को दूर करेंगे। इसके अलावा, वे मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में व्यापार करने के नए तरीकों के रास्ते खोलेंगे और अब तक के अनछुए बाजारों को खोलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

2.7 मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के निरंतर आर्थिक विकास और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए नवोदित उद्यमी एक पूर्व–आवश्यकता है। अंत में, परिकल्पित मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर बिजनेस इनक्यूबेशन संेटरों का उद्देश्य बुनियादी ढांचा और संचालन सहायता प्रदान करके, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाने का है और इस प्रकार, प्रौद्योगिकी–संचालित, स्थायी रूप से व्यवसाय उद्यम, जो उभरती हुई ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे, की स्थापना करने के लिए आधारशिला रखेंगे।

2.8 उद्यमी मॉडल उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का तेजी से व्यावसायीकरण करने के लिए रास्ते खोलेंगे और इसके आगे, इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों, निवेशकों, अनुसंधान संस्थानों, अग्रणी उद्योग के खिलाड़ियों और वित्तीय एजेंसियों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार, उद्यमी मॉडल उभरती हुई फर्मों को स्थानीय ज्ञान बैंकों और उपर्युक्त व्यवसाय नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाएगे, ताकि मौजूदा हस्तक्षेपों के साथ अभिसरण हो सके और इससे परिणामस्वरूप परिणाम सामने आएंगे।

2.9 उद्यमी मॉडल (क) आर्थिक विकास करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और इसके परे निजी क्षेत्र की पहलों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों को जोड़ने के लिए रचनात्मक और अभिनव तरीकों की सुविधा प्रदान करेगा; ख) मछली पालन और जलीय कृषि में व्यवसायों की वृद्धि में आने वाली बाधाओं और अवरोधों पर काबू पाने के उद्देश्य से उपयुक्त रणनीतियों के लिए संपर्क स्थापित करेगा; ग) छोटे उद्यमों को लगातार आगे बढ़ने में मदद करने के लिए संरचनाओं और रणनीतियों को विकसित करेगा और वैश्विक बाजार में उनके लिए एक आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करेगा; घ) सकारात्मक सरकार–अनुसंधान–व्यापार संबंधों को पोषित करते हुए, समुदाय और कॉर्पोरेट संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा; ङ.) व्यापार के विकास में तथा संचालन के पैमाने का विस्तार करते हुए स्टार्ट–अप का संपोषण व समर्थन करेगा; च) आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का सृजन और प्रौद्योगिकी का अभिप्रेरण करेगा; छ) सहायक और स्पिन–ऑफ उद्योगों का विकास करेगा; ज) तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का सम्मान करके और विशेष रूप से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में नए कौशल–सेट लाकर, संस्थागत क्षमता और नवाचार क्षमता को मजबूत करेगा; झ) उत्पादन की दिशा में मूल्य आवर्धित उत्पादों का विकास करने में सक्षम करेगा और पूंजी गहन प्रसंस्करण उपकरणों के जल से सुविधाजनक बनाएगा; ञ) मांग आधारित ब्रांडिंग और विपणन तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देगा; ट) आजीविका और इस प्रकार, मत्स्य क्षेत्र में आय इत्यादि को बढ़ाएगा।

2.10 व्यवहार्य उद्यमी मॉडलों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत ला सकते हैं: **निवेश संचालित मॉडलः** इसमें व्यवसायिक नीति वातावरण पर आधारित व्यवसाय मॉडल शामिल होंगे, जिसमें मत्स्य पालन उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचित प्रोत्साहन और जल संसाधनों तक पहुंच शामिल है। **उद्योग संचालित मॉडलः** इनमें अनुबंध कृषि आधारित व्यवसाय मॉडल शामिल हैं, जो उत्पादन, प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्य संवर्धन को शामिल करते हुए मत्स्य पालन मूल्य श्रेणी (जिसमें समुद्री शैवाल, सजावटी और मनोरंजक मत्स्य सम्मिलित है) के साथ उद्यमियों और मछुआरों और मछली किसानों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। **इनक्यूबेटर चालित मॉडलः** तकनीक–सक्षमता, तकनीक अंतरण, प्रशिक्षण, सलाह और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी और मूल्य श्रेणी आधारित उद्यमियों को बढ़ावा देना।

3. उद्यमी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए रणनीति

3.1 पी.एम.एम.एस.वाई में मछली उत्पादन, जलीय कृषि उत्पादकता, निर्यात को दोगुना करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करने, पोस्ट हार्वेस्ट के बुनियादी ढाँचे और प्रबंधन, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण फासलों का पता लगाने और मूल्य श्रेणी का आधुनिकीकरण व उसका सुदृढ़ीकरण करने, ट्रेसबिलिटी, एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे और मछुआरों के कल्याण की स्थापना करने के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप/गतिविधियों को शामिल किया गया है।

3.2 पी.एम.एम.एस.वाई के विभिन्न व्यक्तिगत उप–घटक/गतिविधियां एकीकृत की जायेगी और आउटपुट और परिणामों को अधिकतम करने के लिए एंड टू एंड समाधान, जहां भी संभव हो, प्रदान करने के लिए पैक किया जाएगा। ऐसी एकीकृत परियोजनाओं को उद्यम/व्यवसाय मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा और मत्स्यपालकों को 'एक्वाप्रिन्योर्स' के रूप में बढ़ावा दिया जायेगा।

3.3 पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन में, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जहां भी उपयुक्त और व्यवहार्य हो, को प्रोत्साहित किया जाएगा और निजी क्षेत्र के संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमता का लाभ उठाने के लिए पी.एम.एम.एस.वाई के तहत सृजित की गई संपत्तियों के संचालन और प्रबंधन (O&M) में उन्हें शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता के विकास को सुगम बनाना पी.एम.एम.एस.वाई के प्रमुख प्रत्याशित परिणामों में से एक है।

3.4 पी.एम.एम.एस.वाई के तहत, कृषि अनुबंध (कोनट्रेक्ट फार्मिंग) की व्यवहार्यता और वापस खरीद की व्यवस्था, जहां भी उपयुक्त और व्यवहार्य हो, का पता लगाया जायेगा, ताकि कीमतों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सके, मछली किसानों की आय को स्थिर किया जा सके और उत्पादक हेतु सुनिश्चित बाजार के साथ–साथ मछली विपणन फर्मों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित किए जा सकें।

3.5 मत्स्यपालन इनक्यूबेशन केंद्रों (एफ.आई.सी) की स्थापना को सरकारी और निजी क्षेत्र में पी.एम.एम.एस.वाई के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें राज्य/केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं सहित एन.एफ.डी.बी और/या पेशेवर निजी फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। मत्स्यपालन इनक्यूबेशन केन्द्रीय इनक्यूबेटरों जैसे युवा पेशेवरोंउद्यमियों, मात्स्यिकी संस्थानों, मत्स्य पालन शोधकर्ताओं, सहकारी समितियों/महासंघों, प्रगतिशील मछली किसानों, मत्स्य आधारित उद्योगों और अन्य संस्थाओं को अवसर प्रदान करेंगे, ताकि वे मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकियों, अपने नवाचारों और नवीन विचारों को प्रदर्शित कर सकें, और मछुआरों/मछली किसानों के लाभ के लिए उनका व्यवसायीकरण कर सकें।

इससे मत्स्यपालन क्षेत्र में नए व्यवसायों के अवसरों, उद्यमियों के विकास (एक्वाप्रिन्योर) और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

3.6 पी.एम.एम.एस.वाई के तहत प्रत्याशित परिणाम पी.एम.एम.एस.वाई तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के समेकित प्रयास होंगे। प्रत्याशित परिणाम राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों दोनों से उनके अपने स्वयं के संसाधनों के साथ–साथ सरकारी हस्तक्षेपों की पूर्णता से एक जीवंत निजी क्षेत्र के विकास करने के संदर्भ में अतिरिक्त वित्तीय समावेशन पर भी निर्भर करेंगे, इस प्रकार इसका बहुविध प्रभाव पड़ेगा।

3.7 उद्यमी मॉडल के लाभ का एक प्रमुख बिंदु यह है कि यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को अधिगत करने, अधिकतम आउटपुट हेतु एंड टू एंड समाधान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उप–घटकों/गतिविधियों के उपयुक्त एकीकरण और अभिसरण की अनुमति देता है और इस प्रकार उसके प्रभाव को बढ़ाता है। पी.एम.एम.एस.वाई के तहत व्यक्तिगत गतिविधियों को अपेक्षित आगे और पीछे के लिंकेजों से परस्पर जोड़ा और पैक किया जा सकता है और सुसंगत व्यवहार्य व्यापार मॉडल के रूप में रोल आउट किया जा सकता है जो पोस्ट हार्वेस्ट, विपणन और व्यापार के साथ उत्पादन श्रृंखला (चेन) को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा और परिणामों को बढ़ाएगा।

4. उद्देश्य

4.1 पी.एम.एम.एस.वाई अपने समग्र प्रयोजनों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्यमिता मॉडल को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, पी.एम.एम.एस.वाई के बड़े जनादेश की दिशा में, उद्यमी मॉडल के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क) मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में संवर्धित निजी निवेश को आकर्षित करना।

ख) मछली उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य हासिल करके समग्र मूल्य श्रृंखला को लाभप्रद बनाना, प्रौद्योगिकी की समझ को प्रोत्साहित करना और मूल्य श्रृंखला के फासलों को दूर करना।

ग) बेहतर मूल्य वसूली और संवर्धित आय के लिए उत्पादकों, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर और निर्यातकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना।

घ) विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के बीच स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना।

ड) मौजूदा ज्ञान पूंजी का लाभ उठाना और नए, अप्रयुक्त बाजारों का विस्तार करना ।

च) मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बनाना।

5. पात्र लाभार्थी

क) व्यक्तिगत उद्यमी और निजी फर्म

ख) मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक तथा मछली विक्रेता (फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स और फिश वेंडर्स)

ग) स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी)/मत्स्य सहकारी समितियाँ/संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी)/मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ/सी)।

6. पात्रता

क) आवेदक/लाभार्थी के पास सभी अतिक्रमणों से मुक्त, स्पष्ट हक रखते हुए जमीन होनी चाहिए। पट्टे की भूमि के मामले में, आवेदक/लाभार्थी के पास न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए भूमि का पट्टा होगा।

ख) उद्यमी मॉडल के तहत प्रदान की गई सहायता से स्वयं की या लीज्ड भूमि पर ली गई संपत्ति का, परियोजना की मंजूरी की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए बिक्री, उपहार, हस्तांतरण और पट्टे के रूप में तथा किसी भी रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। यदि परियोजना लाभार्थी परिसंपत्तियों का निपटान करता है, तो लाभार्थी केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अर्जित ब्याज, यदि कोई है, के साथ उस समय तक प्राप्त की गई पूरी केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि वापिस लौटा देगा। इसके अलावा, केंद्रीय वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष 12% की दर से दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा। संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता, दंड ब्याज सहित संचित ब्याज राशि का भारत सरकार को एक मुश्त किस्त में भुगतान किया जायेगा।

ग) आवेदक के पास संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त आवश्यक मंजूरी/अनुमति आदि, जहां भी परियोजना की अपेक्षाओं के अनुसार लागू हो, होनी चाहिए।

घ) आवेदक ने किसी भी सरकारी योजना या सरकारी एजेंसी के तहत उद्यमी मॉडल या उप–गतिविधियों की किसी भी गतिविधि के लिए समान सहायता/सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

7. प्रस्तावित आवंटन

7.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)

क) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य योजना के एक भाग के रूप में प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रूपये की दर से वित्तीय वर्ष **2020–21** से **2024–25** तक **5** वर्षों की अवधि के लिए उद्यमी मॉडल के तहत परियोजनाएं शुरू करने के लिए पी.एम.एम.एस.वाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के अंतर्गत कम से कम **100** करोड़ रुपये चिन्हित किए जाएंगे ।

ख) उद्यमी मॉडल के तहत परियोजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन पी.एम.एम.एस.वाई के तहत निधि की उपलब्धता और बजटीय आवंटन होने पर निर्भर करेगा। उद्यमी मॉडल के तहत एक विशेष वित्तीय वर्ष में कोई भी इस्तेमाल न किए गए बजटीय आवंटन को उपयोग के लिए अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया जायेगा। उद्यमी मॉडल के तहत वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट सब्सिडी की अधिकतम सीमा होगी, जिसे वित्तीय वर्ष में जारी किया जाएगा, इस प्रकार मंजूरियां उस सीमा तक सीमित होंगी।

ग) यह विचार है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उद्यमी मॉडल के रूप में मुख्य रूप से आवश्यकता आधारित लाभार्थी–उन्मुख मत्स्य पालन विकास गतिविधियों को शुरू करेगा, जिसकी पी.एम.एम.एस.वाई योजना के मुख्य फ्रेमवर्क के तहत पी.एम.एम.एस.वाई योजना के अधीन पूर्ति नहीं हुई है अथवा अनुकूलतम रूप से/आंशिक रूप से पूर्ति हुई है। तदनुसार, एनएफडीबी समय–समय पर क्षेत्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/गतिविधियों की पहचान करेगा, जिन्हें उद्यमी मॉडल के तहत गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उद्यमी मॉडल को लागू करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए वर्ष–वार पी.एम.एम.एस.वाई केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) संघटक परिव्यय (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक) के भाग को चिह्नित करेंगे।

(ख) प्रस्तावित वार्षिक आवंटन पी.एम.एम.एस.वाई के तहत निधि की उपलब्धता और बजटीय आवंटन होने पर निर्भर करेगा।

(ग) उद्यमशीलता मॉडल के लिए एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट सब्सिडी की अधिकतम सीमा होगी जिसे एक वित्तीय वर्ष में जारी किया जाएगा, इस प्रकार मंजूरियां उस सीमा तक सीमित होंगी।

8. फंडिंग पैटर्न (निधि पैटर्न)

8.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)

8.1.1 **केंद्रीय वित्तीय सहायता:**

क) सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 25% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.25 करोड़ रुपये की हो।

ख) एससी/एसटी/महिलाओं के लिए 30% तक जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपये की हो ।

8.1.2 **लाभार्थी का अंशदान:** कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%।

8.1.3 **बैंक ऋण:**

क) सामान्य श्रेणी के मामले में कुल परियोजना लागत का 65% तक और एससी/एसटी/महिलाओं के मामले में कुल परियोजना लागत का 60% तक।

ख) लाभार्थी ऋण के एवज में उच्चतर सीमांत राशि (मार्जिन मनी) का अंशदान कर सकता है जो किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 40% से अधिक नहीं होगा।

8.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएस्स)

8.2.1 **केन्द्र और राज्य संयुक्त दोनों सरकारी सहायता**

क) सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 25% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.25 करोड़ रुपये की हो।

ख) एससी/एसटी/महिलाओं के लिए 30% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपये की हो ।

क्रमशः पूर्वोक्त सरकारी सहायता को नीचे दिए गए विवरण के रूप में केन्द्रीय और राज्य के बीच साझा किया जाएगाः –

(i) केन्द्रीय और सामान्य राज्य के बीच 60:40

(ii) केन्द्रीय और उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10

(iii) केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संपूर्ण सरकारी सहायता केन्द्रीय द्वारा वहन की जाएगी।

8.2.2 **लाभार्थी का अंशदान:** परियोजना की कुल लागत का न्यूनतम 10%

8.2.3 **बैंक ऋण**

क) सामान्य श्रेणी के मामले में कुल परियोजना लागत का 65% तक और एससी/एसटी/महिलाओं के मामले में कुल परियोजना लागत का 60% तक।

ख) लाभार्थी ऋण के एवज में उच्चतर सीमांत राशि (मार्जिन मनी) का अंशदान कर सकता है जो किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 40% से अधिक नहीं होगा।

9. सरकारी सहायता जारी करने के लिए तरीके

9.1 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी) द्वारा लाभार्थी के ऋण खाते में 20:50:30 के अनुपात में माइलस्टोन लिंकड से युक्त बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता तीन किस्तों में जारी की जाएगी, जिसे नीचे बताया गया है:

(क) प्रत्यक्ष प्रगति के अनुसार परियोजना की कम से कम 20% वित्तीय प्रगति प्राप्त करने पर सरकारी सहायता की पहली किस्त जारी की जायेगी।

(ख) प्रत्यक्ष प्रगति के अनुसार परियोजना की कम से कम 70% वित्तीय प्रगति प्राप्त करने पर दूसरी किस्त जारी की जायेगी।

(ग) तीसरी और अंतिम किस्त सभी प्रकार से परियोजना के पूरा होने पर और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के बाद और केन्द्र प्रायोजित योजना परियोजनाओं के संबंध में संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

9.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना घटक के तहत उद्यमी मॉडल के लिए, राज्य/संघ शासित प्रदेश पूर्वोक्त निधि पैटर्न के तहत निर्धारित सरकारी सहायता (केन्द्रीय और राज्य दोनों) के अतिरिक्त अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, यदि वे व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए ऐसा करने का निर्णय लेते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं और तेजी से कार्यान्वयन करने की जरूरत को महसूस करते हैं। हालांकि, राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश की यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता केवल परियोजना के ऋण घटक के एक हिस्से की भरपाई करने के लिए होगी।

9.3 मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफ.आई.डी.एफ) और पी.एम.एम.एस.वाई परस्पर अनन्य योजनाएं हैं और दोनों की परस्पर मिलाने की अनुमति नहीं है

यानी एफ.आई.डी.एफ के तहत ब्याज सबवेंशन और पी.एम.एम.एस.वाई के तहत सब्सिडी एक ही परियोजना के लिए नहीं ली जा सकती है।

10. एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां

10.1 **केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस):** राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद।

10.2 **केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस):** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

11. कार्यान्वयन का तरीका

11.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना

11.1.1 एनएफडीबी विज्ञापन जारी करके लाभार्थियों से परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित करेगा। आवेदक राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा विज्ञापन में दिए गए सभी प्रासंगिक विवरणों और परियोजना प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा सहित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

11.1.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड में पी.एम.एम.एस.वाई की परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी) अपनी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के पहले स्तर का मूल्यांकन करेगी। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए डोमेन विशेषज्ञों की सेवाओं, जहां भी आवश्यक हो, का लाभ उठाया जाएगा।

11.1.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों से पत्राचार करेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तथा आवश्यक दस्तावेजों जैसे बैंक सहमति पत्र के साथ अनुमान, दर सूची, घोषणा आदि प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जाएगी।

11.1.4 पी.एम.एम.एस.वाई के उद्यमी मॉडल के तहत परियोजनाओं की उपयुक्तता और व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पीएसी डीपीआर की विस्तृत जांच करेगी। जहां भी जरूरत हो, पी.ए.सी परियोजना प्रबंधन और तकनीकी, संगठनात्मक, वाणिज्यिक/वित्तीय और परियोजना के अन्य पहलुओं, जिसमें कार्य योजना, गतिविधि मैट्रिक्स, कार्यान्वयन प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था, मिल्सटोंस, डिलिवरेबल्स (प्राप्ति योग्य) समय की योजना, प्रत्याशित परिणाम, संभावित लाभ और ऐसे अन्य पहलुओं, जो कि आवश्यक समझे जाये, शामिल है, पर किसी/सभी पहलुओं पर आवेदक (या तो व्यक्ति या ऑनलाइन में) के साथ एक प्रस्तुति और एक–पर–एक बातचीत करेंगी। पीएसी जरूरत पड़ने पर किसी भी भाग या पूरे प्रस्ताव के संशोधन/परिशोधन का सुझाव देगी और प्रस्ताव को

फिर से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करेगी।

11.1.5 पी.एम.एम.एस.वाई की पीएसी की पूर्ण डीपीआर और मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव डीओएफ को भेजे जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त किए गए प्रस्तावों को सीएसी के समक्ष उनकी सिफारिशों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद डीओएफ द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

11.1.6 मत्स्यपालन विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर, एन.एफ.डी.बी क्रमशः विस्तृत निबंधन और शर्तों के साथ परियोजना की आवश्यक मंजूरी जारी करेगा और इन दिशा–निर्देशों में निर्धारित राशि देने के लिए निधि (फंडिंग) पैटर्न और अनुसूची के अनुसार लाभार्थियों को राशि जारी करेगा।

11.1.7 लाभार्थी एनएफडीबी से परियोजना का अनुमोदन मिलने की तारीख से अनुमोदित परियोजना का कार्यान्वयन तुरंत और 3 महीने के भीतर शुरू करेगा ।

11.1.8 स्वीकृत परियोजना की पी.एम.एम.एस.वाई के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित निगरानी प्रणाली के अनुसार नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाएगी।

11.1.9 परियोजना को परियोजना मंजूरी आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

11.1.10 एस्पिरेशनल जिलों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, एससी/एसटी/महिलाओं के प्रस्तावों/आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)

11.2.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उद्यमी मॉडल के तहत शुरू की गई और पी.एम.एम.एस.वाई के केन्द्रीय प्रायोजित योजना घटक के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

11.2.2 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश, उद्यमी मॉडल के तहत परियोजना शुरू करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के घटक में से अपने पी.एम.एम.एस.वाई वार्षिक आवंटन का एक भाग निर्धारित करेंगे।

11.2.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी करके लाभार्थियों के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रस्तुत करेंगे।

11.2.4 आवेदक उस जिला मत्स्यपालन कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जहां वे अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मोटे तौर पर प्रस्ताव की रूपरेखा तथा अन्य सभी संगत ब्यौरे विज्ञापन में मांगे गए हैं।

11.2.5 जिले के पी.एम.एम.एस.वाई की जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी) उनकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें करते हुए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग को लघु–सूचीबद्ध प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी। इसके साथ ही, डीएलसी लघु–सूचीबद्ध आवेदकों को यह सूचित करेगी कि वे विस्तृत दस्तावेज रिपोर्ट (डीपीआर) तथा आवश्यक दस्तावेजों जैसे अनुमान, दर सूची, घोषणा आदि और बैंक सहमति पत्र राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग को सीधे ही प्रस्तुत करे। लघु–सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट किए गए) आवेदकों को डीपीआर और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जाएगी।

11.2.6 आवेदकों से प्राप्त डीपीआर की विस्तृत जांच राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग द्वारा की जाएगी और उन्हें सिफारिशों के लिए पी.एम.एम.एस.वाई की राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी) के समक्ष रखा जाएगा। क्रमशः एसएलएएमसी एनएफडीबी में पी.एम.एम.एस.वाई की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) को डीपीआर के साथ उपयुक्त और व्यवहार्य परियोजनाओं की सिफारिश करेगी।

11.2.7 जहां भी जरूरत हो, राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश का मत्स्यपालन विभाग परियोजना प्रबंधन और तकनीकी, संगठनात्मक, वाणिज्यिक/वित्तीय और परियोजना के अन्य पहलुओं, जिसमें कार्य योजना, गतिविधि मैट्रिक्स, कार्यान्वयन प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था, मील के पत्थर, डिलिवरेबल्स (प्राप्ति योग्य), प्रत्याशित परिणाम, संभावित लाभ और ऐसे अन्य पहलुओं, जो कि आवश्यक समझे जाये, शामिल है, पर किसी/सभी पहलुओं पर आवेदक (या तो व्यक्ति या ऑनलाइन में) के साथ एक प्रस्तुति और एक–पर–एक बातचीत करेंगा। आवेदक डीपीआर में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभागों द्वारा सुझाए गए कोई भी परिवर्तन/संशोधन करेगा और प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करेगा।

11.2.8 एनएफडीबी में पी.एम.एम.एस.वाई की पीएसी प्रस्तावों को देखेंगी और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि जारी करने के बाद अनुमोदन और मंजूरी के लिए डीओएफ को अंतिम प्रस्तावों की सिफारिश करेंगी।

11.2.9 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश क्रमशः इन दिशा–निर्देशों में निर्धारित राशि जारी करने की अनुसूची और निधि पैटर्न के अनुसार संबंधित लाभभोगियों को परियोजनाओं की मंजूरी देगे।

11.2.10 लाभार्थी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा परियोजना की मंजूरी मिलने की तारीख से अनुमोदित परियोजना का कार्यान्वयन तुरंत और 3 महीने के भीतर शुरू करेगा।

11.2.11 स्वीकृत परियोजना की पी.एम.एम.एस.वाई के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित निगरानी प्रणाली के अनुसार नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाएगी।

11.2.12 परियोजना को परियोजना मंजूरी आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

11.2.13 एस्पिरेशनल जिलों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, एससी/एसटी/महिलाओं के प्रस्तावों/आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12. अभिसरण (कन्वर्जेंस)

12.1 सार्वजनिक संसाधनों के अनुकूलतम और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए और परिणामों को समेकित करने के लिए, जहाँ भी संभव हो, पी.एम.एम.एस.वाई के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उद्यमी मॉडल बनाने और लागू करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ उपयुक्त संपर्क और अभिसरण स्थापित किया जायेगा।

13. स्टार्टअप और इनक्यूबेटर संचालित मॉडल

13.1 पी.एम.एम.एस.वाई निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्यमिता के विकास, सुगमता से व्यवसाय करने को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेटर आदि सहित नवीन परियोजना गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक जन्मजात इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) को प्रोत्साहित करेगी। पी.एम.एम.एस.वाई तकनीक आधारित व्यापार मॉडल, तकनीक हस्तांतरण, प्रशिक्षण, सलाह और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी और मूल्य श्रेणी–आधारित उद्यमियों को बढ़ावा देगी। अंत में, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर स्टार्टअप्स के हैंडहोल्डिंग की स्थापना पी.एम.एम.एस.वाई के तहत एक प्राथमिकता हस्तक्षेप होगा। इसके आगे, मत्स्य पालन केंद्रों (एफ.आई.सी) की स्थापना को सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें राज्य/केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं सहित एन.एफ.डी.बी और/या पेशेवर निजी फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। मत्स्यपालन इंक्यूबेशन केन्द्रीय इनक्यूबेटरों को जैसे युवा पेशेवरों/उद्यमियों, मात्स्यिकी संस्थानों, मत्स्यपालन अनुसंधानकर्ताओं, सहकारी समितियों/महासंघों, प्रगतिशील मछली किसानों, मत्स्य–आधारित उद्योगों और अन्य संस्थाओं को अवसर प्रदान करेंगे, ताकि वे अपने नवाचारों और नवीन विचारों को प्रदर्शित कर सकें, मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकियों और उनका मछुआरों/मछली किसानों के लाभ के लिए व्यवसायीकरण कर सकें। इससे नए व्यवसाय, उद्यमियों के विकास (एक्वाप्रिन्योर) और मत्स्य पालन में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

13.2 स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को पी.एम.एम.एस.वाई के केंद्रीय क्षेत्र घटक के "स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेटर्स और पायलट प्रोजेक्ट्स सहित नवीन और नवाचार परियोजनाओं/गतिविधियों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन" के तहत बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए पी.एम.एम.एस.वाई की परिचालनात्मक गाइडलाइनों में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

14. उद्यमिता मॉडल की गतिविधियाँ

14.1 पी.एम.एम.एस.वाई के व्यक्तिगत उप–घटक/गतिविधियों को एकीकृत और पैक किया जायेगा और उद्यमशीलता और नवाचारों के प्रोत्साहन के लिए और एक्वाप्रिनर्स सहित मत्स्य पालन उद्यमियों के विकास के लिए उद्यमी/व्यवसाय मॉडल के रूप में उसे लागू जायेगा ।

14.2 सामान्यतया, उद्यमिता मॉडल में गतिविधियों का एकीकरण और पैकिंग लाभार्थी के लिए छोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ सुझाए गए उद्यमशीलता मॉडल नीचे दिए गए हैं:

(क) **एक्वाकल्चर का विकास:** संबद्ध गतिविधियां जैसे आवश्यक बिजली और पानी की आपूर्ति सुविधाओं के साथ–साथ तालाबों के निर्माण, बीज उत्पादन के लिए हैचरी का विकास, स्थानीय सामग्रियों से मछली फीड का उत्पादन करने के लिए चारा मिल/संयंत्र, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, मछली भंडारण परिरक्षण सुविधाएं, प्रीप्रोसेसिंग सुविधाएं, मछली परिवहन सुविधाएं आदि।

(ख) **एकीकृत मछली फार्म:** प्रौद्योगिकी का निर्माण जैसे उपयुक्त आकार और संख्याओं के पुनः संचलन एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना, जैव–फ्लोक, एक्वापोनिक्स, उपयुक्त आकार और क्षेत्र के तालाब, जल आपूर्ति और विद्युतीकरण, मछली उत्पादन के लिए हैचरियां आरएएस के लिए अपेक्षित बीज, फीड प्लांट/मिल, मछली संरक्षण सुविधाएं (आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज), परीक्षण प्रयोगशाला, मछली परिवहन सुविधाएं (इंसूलेटिड/प्रशीतित वाहन) और फॉर्म आधारित कियोस्क आदि।

15. सामान्य

15.1 उद्यमी मॉडल के लिए इन परिचालन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट फंडिंग पैटर्न, कार्यान्वयन का तरीका और अन्य पहलुओं के अलावा, अभिप्रेत व्यक्तिगत/एसएचजी/एफएफपीओ लाभार्थियों के लिए इन दिशानिर्देश के पैरा 9.18 में दिए गए अनुसार सहायता हेतु पात्र क्षेत्र में ऊपरी सीमा सहित पी.एम.एम.एस.वाई (जून, 2020) के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी अनुबंध उद्यमी मॉडल के लिए लागू होंगे।

15.2 उद्यमी मॉडल के तहत परियोजनाओं के लिए कुछ थ्रस्ट क्षेत्र निम्नानुसार हैं;

(क) आवश्यक पिछड़े और आगे के एकीकरण/लिंकेज के साथ केज की खेती। जल निकाय/क्षेत्र के पट्टे, ब्रूड बैंक, हैचरी, फीड मिल, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रीय/संस्थान, रोग प्रबंधन, कोल्ड चेन, मूल्य आवर्धन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग आदि के लिए राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करना।

(ख) समुद्री शैवाल की खेती, प्रसंस्करण और विपणन, जल निकाय/क्षेत्र पट्टे, कोंटेक्ट फॉमिंग और एसएचजी/जेएलजी/सहकारी समितियों/एफएफपीओ, आदि के साथ वापिस खरीद करने की व्यवस्था, बीज बैंक, टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना, पालन की सुविधा, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रीय/संस्थान, रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संबंध स्थापित करना।

(ग) सजावटी मछली पालन, ब्रांडिंग और विपणन

(घ) आवश्यक पिछड़े और आगे के एकीकरण/लिंकेज और अभिसरण के साथ मनोरंजनदायी मत्स्य पालन।

(ड) फिनफिश और शेलफिश की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में हब और स्पोक मॉडल। एकीकरण में उत्पादन इकाइयों से युक्त टाई–अप, हैचरी, बैक एंड पर फीड मिल्स और पोस्ट–हार्वेस्ट अवसंरचना जैसे कोल्ड चेन और मार्केटिंग तथा लाइव फिश वेंडिंग, रिटेल आउटलेट, कियोस्क, मोबाइल वेंडिंग वाहन, वेल्यू–एडिशन, ब्रांडिंग आदि शामिल हैं।

(च) फिनफिश और शेलफिश की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और अर्ध/पेरी शहरी क्षेत्रों में बाजार यार्डों का उपयोग करना।

(छ) आवश्यक पिछड़े और आगे के एकीकरण/लिंकेज के साथ कोल्ड वाटर में मछली पालन। जल निकाय/क्षेत्र के पट्टे, ब्रूड बैंक, हैचरी, फीड मिल, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रीय/संस्थान, रोग प्रबंधन, कोल्ड चेन, मूल्य आवर्धन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग (विपणन) आदि के लिए राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करना।

(ज) कोल्ड चेन और मार्केटिंग सहित पोस्ट–हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर।

(झ) पी.एम.एम.एस.वाई दिशानिर्देशों के क्षेत्र के भीतर कोई अन्य मॉडल।

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार